भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1632

(जिसका उत्तर मंगलवार, 3 अगस्त, 2021/12 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

आय सहायता योजनाएं और मौद्रिक मुआवजा

1632. श्री शमशेर सिंह दुलोः
श्री अखिलेश प्रसाद सिंहः
श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः
श्री शक्तिसिंह गोहिलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कोविड-19 की पहली लहर, राष्ट्रीय लॉकडाउन और दूसरी लहर से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण जीवन और आजीविका दोनों का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संकटग्रस्त मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक सहायता के संदर्भ में विशेष कदम उटाए हैं या उठाने का विचार रखती है';

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समूह की पहचान करने और पैकेज वितरित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): सरकार ने दिनांक 26.03.2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने में सहायता देने के लिए मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को शामिल करते हुए विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 से लड़ने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 13-17 मई, 2020, 12 अक्तूबर, 2020 और 12 नवम्बर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक उत्प्रेरक पैकेज की घोषणा की गई। पैकेज में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए दीर्घावधि स्कीमों/कार्यक्रमों सहित स्कीम जैसे कि प्रवासियों को नि:शुल्क खाद्यान्न, विक्रेताओं को क्रेडिट सुविधा, प्रवासी कामगारों और शहरी गरीबों के लिए किराए के किफ़ायती आवासी परिसर आदि शामिल हैं। दिनांक 28.06.2021 को एक राहत पैकेज भी घोषित किया गया। पैकेजों के बारे में विस्तृत वर्णन दर्शाता विवरण **अनुबंध** पर है।

पैकेज के लाभों को प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में विद्यमान स्कीमों/कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारक, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रमाणित किए गए प्रवासी आदि शामिल हैं। जहां कहीं अनुप्रयोज्य हो वहां लाभार्थियों के प्रमाणित खातों में सापेक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से रोकड़ लाभ उपलब्ध कराया है।

******

अनुबंध - I

03.08.2021 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1632 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण
दिनांक 26.03.2020 को घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विवरण

I. **स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं हेतु बीमा योजना** सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कोविड-19 मरीजों के सीधे संपर्क में और उनकी देखरेख करते हैं और जो इससे प्रभावित होने के खतरे में है उन्हें शामिल करते हुए लगभग 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर देने के लिए 30.03.2020 से सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं हेतु बीमा स्कीम शुरू की गई। अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए कोविड-19 से संबंधित उत्तरदायित्व के लिए तैयार निजी अस्पताल स्टाफ/सेवानिवृत/स्वयंसेवी/स्थानीय शहरी निकाय/संविदा/दैनिक आधार पर मजदूरी लेने वाले/अस्थायी/राज्यों द्वारा अनुरोध पर आउटसोर्स किया गया स्टाफ/केंद्रीय अस्पताल/केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, एम्स और आईएनआई के स्वयत्त अस्पताल/केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पताल भी स्कीम के तहत शामिल किए गए।

II. **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना –** सापेक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत शामिल सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता के परिवार) के तहत शामिल सभी लाभार्थियों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो की दर से निःशुल्क खाद्यान्न का अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार एक किलो की दर से क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर 3 महीनें के लिए निःशुल्क दालें दी गई थीं। यह स्कीम नवम्बर, 2020 तक बढ़ायी गई थी। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मई 2021 में पुन: नवम्बर 2021 तक शुरू की गई।

III. **किसानों को लाभ –** प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लगभग 8.7 करोड़ किसानों को शामिल करते हुए अप्रैल, 2020 तक ही 2020-21 को देय 2000 रुपए की पहली किस्त दी गई थी और भुगतान किया गया था।

IV. **रोकड़ अंतरण –**

(क) गरीबों को सहायता: कुल 20.40 करोड़ (अनुमानित) प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) महिला खाताधारियों को 3 महीनें के लिए प्रतिमाह 500 रुपए का एक्स-ग्रेसिया दिया गया।

(ख) गैस सिलेण्डर: 13,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ दिनांक 1.4.2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर उपलब्ध कराया गया था। लाभार्थियों के बैंक खाते में सिलेण्डर खरीदने के लिए अग्रिम रोकड़ अंतरित किए गए थे। यह स्कीम उन लाभार्थियों के लिए 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ायी गई जिन्हें पुनः सिलेण्डर भरने हेतु अग्रिम दिया गया था लेकिन वो दिनांक 30.06.2020 तक निःशुल्क सिलेण्डर नहीं खरीद पाए।

(ग) संगठित क्षेत्रों में निम्न मजदूरी पाने वालो को सहायता: 100 कार्यकर्ताओं से कम वाले व्यवसायों में 15,000 रुपए प्रति माह से कम अर्जन करने वालो को उनके रोजगार में अव्यवस्था से बचाव के लिए तीन माह हेतु उनके भविष्य निधि खातों में मासिक मजदूरी का 24 प्रतिशत उपलब्ध कराया गया। यह योजना अगले तीन महीनों अर्थात् अगस्त, 2020 तक बढ़ायी गई।

(घ) वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक), विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता: 3 करोड़ वयो वृद्ध विधवाओं दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों को 1000 रुपए की राशि उपलब्ध करायी गई थी।

V. **मनरेगा:** मजदूरी की राशि दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 20 रुपए तक बढ़ाई गई। मजदूरी में इस बढ़त से एक कार्यकर्ता और लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को वार्षिक तौर पर 2000 रुपए का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ।

VI. **स्वयं सहायता समूह:** 63 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित महिलाओं के लिए संपार्श्विक निःशुल्क ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई थी।

VII. **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटक:**

(क) संगठित क्षेत्रः राशि का गैर-वापसी योग्य 75 प्रतिशत अग्रिम अथवा तीन माह की मजदूरी जो भी कम हो को उनके खातों में शामिल करने हेतु कारण के रूप में वैश्विक महामारी को शामिल करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में संशोधन किया गया।

(ख) भवन और अन्य निर्माण से जुड़े कामगार कल्याण निधिः केंद्रीय सरकार अधिनियम के तहत भवन और अन्य निर्माण से जुड़े कामगारों हेतु कल्याण निधि का सृजन किया गया। निधि में लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत कामगार हैं। राज्य सरकारों को इन कामगारों को आर्थिक दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सहायता और मदद देने के लिए इस निधि के उपयोग के निदेश दिए गए थे।

(ग) जिला खनिज़ निधिः राज्य सरकारों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने और साथ ही साथ इस वैश्विक महामारी से प्रभावित रोगियों की देखरेख के संबंध में मेडिकल जांच, स्क्रीनिंग सुविधाओं के अनुपूरक और उन्हें गति देने हेतु जिला खनिज निधि के तहत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने को कहा गया।

आत्मनिर्भर भारत उद्घोषणाएं

क. 13.05.2020 को की गई घोषणाएँ

1. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा
2. संकट ग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये अधीनस्थ ऋण
3. एमएसएमई फंड ऑफ फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये इक्विटी समावेशन
4. एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय
5. 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी निविदाओं हेतु कोई वैश्विक निविदा नहीं।
6. जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए एक और 3 महीने के लिए व्यापार और संगठित श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
7. ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी स्थापनाओं के लिए अगले 3 माह हेतु नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ अंशदान 12% से घटाकर 10% किया जाना।
8. एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रु. की विशेष तरलता योजना
9. एनबीएफसी/एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
10. डिसकॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये लिक्विडिटी इंजेक्शन
11. ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के विस्तार से ठेकेदारों को दिए गए राहत
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा।
13. व्यापार के लिए कर में राहत के रूप में लंबित आयकर कर को धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों और व्यवसायों को तुरंत जारी किया जाना चाहिए
14. वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में 25% की कमी
15. विभिन्न कर से संबंधित अनुपालनों के लिए देय तिथियां विस्तारित

ख. 14.05.2020 को की गई घोषणाएँ

16. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
17. मार्च, 2021-वन नेशन वन राशन कार्ड की भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से पीडीएस (राशन) का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली
18. प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी
19. शिशु मुद्रा ऋण हेतु 12 महीने के लिए 2% ब्याज सहायता - 1500 करोड़ रु रुपये की राहत।

20. स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए 5000 करोड़ रुपये ऋण सुविधा।
21. पीएमएवाई (शहरी) के तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपए।
22. रोजगार बनाना सीएएमपीए निधियों का उपयोग करते हुए 6,000 करोड़ रुपये
23. नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी
24. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये रियायती ऋण

ग. 15.05.2020 को की गई घोषणाएँ

25. किसानों के लिए कृषि गेट बुनियादी सुविधाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना
26. माइक्रो खाद्य उद्यम के निर्माण के लिए योजना (यूके) 10,000 करोड़ रुपये
27. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये
28. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
29. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना - 15,000 करोड़ रु
30. हर्बल खेती को बढ़ावा : 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
31. मधुमक्खी पालन की पहल - 500 करोड़ रुपये
32. 'शीर्ष' से कुल – 500 करोड़ रुपए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम शीर्ष से कुल अधिसूचित फलों और सब्जियों के दाम ट्रिगर मूल्य से नीचे होने पर इनके यातायात और भंडारण से संबंधित कार्यकलापों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराता है।
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय

i. किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
ii. किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार
iii. कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन

घ. 16.05.2020 को की गई घोषणाएँ

34. कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू किया गया
35. कोयला क्षेत्र में विविध अवसर
36. कोयला क्षेत्र में उदारवादी शासन
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश और नीति सुधार को बढ़ाना
38. रक्षा उत्पादन में स्व रिलायंस को बढ़ाना
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार
40. नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन
41. पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे
42. विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने वाला भारत
43. विद्युत क्षेत्र में टैरिफ नीति सुधार; संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण
44. सामाजिक क्षेत्र में सुधारित व्यवहार्यता गैप वित्त योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
45. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ङ. 17.05.2020 को की गई घोषणाएँ

47. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमजीएनआरईजीएस के आबंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि

48. भविष्य के महामारियों के लिए भारत को तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश में वृद्धि
49. कोविड के पश्चात इक्विटी के साथ प्रौद्योगिकी चालित शिक्षण।
50. आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और वृद्धि
51. कंपनी अधिनियम की चूक में कम करना
52. कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
53. एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति
54. 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर केवल 5% करना और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देना

च. 12 अक्टूबर, 2020 को की गई घोषणाएँ

55. एलटीसी कैश वाउचर योजना- 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान, (छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और एलटीसी किराया का कर-मुक्त भुगतान)
56. विशेष महोत्सव अग्रिम योजना- प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में 10,000 रु. का ब्याज मुक्त अग्रिम, 31 मार्च, 2021 तक खर्च किए जाने हेतु।
57. राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय बूस्ट - एक 12,000 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 साल के लिए एक विशेष ब्याज मुक्त ऋण

- 8 उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 200 करोड़
- ₹450 करोड़ प्रत्येक उत्तराखंड, हिमाचल
- वित्त आयोग के हस्तांतरित अंश के अनुसार शेष राज्यों के लिए 7,500 करोड़ रुपये

58. सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर पूंजीगत उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त बजट के लिए पूंजीगत व्यय 25,000 करोड़ (बजट 2020 -21 में 4.13 लाख करोड़ के अलावा) प्रदान किया गया। ।

छ. 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणाएं

59. आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना - कोविड-19 से उबरने के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए। यदि ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को ईपीएफओ नंबर के बिना लेते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं, तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।
60. एमएसएमई व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित । कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर क्षेत्र और 26 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा; पुनर्भुगतान पाँच वर्षों (1 वर्ष की अधिस्थगन + 4 वर्ष की अदायगी) में किया जा सकता है।
61. 10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मूल्य की पेशकश की।
62. पीएम आवास योजना - शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय
63. निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं पर अर्जन जमा राशि और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट
64. डेवलपर्स और गृह खरीदारों के लिए आयकर राहत
65. इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग के लिए प्लेटफार्म
66. कृषि के लिए समर्थन: सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए: 65,000 करोड़

67. ग्रामीण रोजगार के लिए बूस्ट: पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जा रहा है । निधि का उपयोग मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकता है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

68. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए बूस्ट भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस स्कीम) के तहत विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिया जाना है। यह एक्जिम बैंक को इन लाइन ऑफ क्रेडिट विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

69. रक्षा उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए पूंजी और औद्योगिक प्रोत्साहन। 10,200 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

70. कोविड वैक्सीन के लिए आर एंड डी अनुदान; कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए 900 करोड़ जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जा रहा है। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है (इसके लिए जो भी आवश्यक हो प्रदान किया जाएगा)

दिनांक 28.06.2021 को की गई घोषणाएं

1. कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए के लोन गारंटी योजना
2. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए
3. सुक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआईएस) के माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को ऋण की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
4. 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटकों/गाइडों/यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता
5. पहले 5 लाख पर्यटकों को एक महीने का मुफ्त पर्यटक वीजा
6. 31 मार्च, 2022 तक आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार
7. डीएपी और पी एंड के उर्वरकों के लिए 14,775 करोड़ रु. की अतिरिक्त सब्सिडी
8. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार-मई से नवंबर, 2021 तक मुफ्त खाद्यान्न
9. बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल/बाल चिकित्सा विस्तरों पर जोर देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23,220 करोड़ रु. से अधिक
10. पोषण, जलवायु लचीलापन और अन्य लक्षणों के लिए जैव-फोर्टिफाइड फसल की 21 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया जाना
11. 77.45 करोड़ रु. के पैकेज के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का पुनरूद्धार
12. राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रु. प्रोत्साहन
13. निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रु. का प्रोत्साहन
14. भारत नेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्राडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रु.
15. 2025-26 तक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का कार्यकाल बढ़ाना
16. सुधार आधारित परिणाम-लिम्ड विद्युत वितरण योजना के लिए 3.03 लाख करोड़ रु.
17. आस्ति मुद्रीकरण और पीपीपी परियोजनाओं के लिए नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया

*****